

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन -भोपाल

क्रमांक: एफ 11-4/2015/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल,दिनांक 27 अप्रैल,2015

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश।

विषय- चिकित्सा देयकों का समय सीमा में-निराकरण बावत।



मानव अधिकार आयोग द्वारा शासन के ध्यान में लाया है कि शासकीय सेवकों एवं उनके परिवारजनों की गंभीर बीमारियों के उपाचार/इलाज के चिकित्सा देयकों का भुगतान समय पर नहीं होने से उपचार की निरंतरता में कठनाई आती है।

2/ अतः शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा स्वत्वो के सामयिक निराकरण के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुरोध है :-

- (1) शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा देयकों के भुगतान के लिये उपयुक्त समय सीमा का निर्धारण किया जाये।
- (2) कोषालय में प्रस्तुत देयकों में त्रुटि के प्रकाश में आने पर उसका तत्काल निराकरण कर कोषालय में देयक पुनः प्रस्तुत किया जाये।
- (3) समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख एवं संभागीय अधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालय में लंबित चिकित्सा देयकों आदि के प्रकारणों की प्रतिमाह समीक्षा करें।

3/ कृपया उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी अधीनस्थ ईकाईयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

- (1) राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
- (2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
- (3) निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- (4) सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
- (5) सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
- (6) सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
- (7) निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
- (8) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
- (9) सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
- (10) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
- (11) महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
- (12) महालेखाकार (लेखा और हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
- (13) अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- (14) प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
- (15) आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
- (16) आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
- (17) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
- (18) मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय, भोपाल
- (19) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
- (20) सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश
- (21) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- (22) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
- (23) अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघठन / संघों
- (24) सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
- (25) संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
- (26) समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
- (27) गार्ड फाइल  
की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित ।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग